

राज्यासिद्ध कर्मचारी तहसील

क्र. नं. ५१/२०२०

उक्त प्रकरण में राज्यसिद्ध कर्मचारी तहसील राज्यासिद्ध/गैर राज्यासिद्ध कर्मचारी पुत्र (गैर राज्यासिद्ध) माली जिला रायपुर के विरुद्ध धारा ११ के तहत कार्रवाई पर दिनांक ३०-७-२० को प्रकरण में मौके पर बेटावत होने एवं तहसील पट्टी के कार्रवाई पारित किए जाने उद्देश्य से उक्त कार्रवाई के विरुद्ध उक्त न्यायालय द्वारा है अपील जारी की गयी है। उक्त न्यायालय के आदेश दिनांक ३०-७-२० की दिनांकित न्यायिक शर्तों के कार्रवाई पूर्व में दिनांक १८-८-२० को जारी किए गए थे उक्त कार्रवाई तहसील को कार्रवाई किया गया था (२) राज्यासिद्ध कर्मचारियों की हीन गति पर मौके का हीनमान कर रहे तथा हीनमान होने के उपरान्त पालन रिपोर्ट देना को तहसील को प्रकरण में हीनमान की रिपोर्ट कई मौका तहसील १२-१०-२० की उद्देश्य है जो शारीरिक पत्रावली है। कार्रवाई न्यायालय तहसील को तहसील के उद्देश्य कई मौका रिपोर्ट उद्देश्य उपरान्त कार्रवाई (क्र. नं. १०७९/०-३९) हो के है ०-०५-२० कार्रवाई बाजने की पालन कार्रवाई की गयी थी जिला पटवार/एल्का द्वारा धारा ११ के तहत कार्रवाई न्यायालय के तहसील रिपोर्ट देना की गयी थी जो वर्तमान में बाजने की पालन मौके के कार्रवाई गयी है। वर्तमान में कार्रवाई लोहे के एंगल व जाल लगाकर उक्त कार्रवाई को अपील का अतिरिक्त है उक्त न्यायालय (२) अपील/गैर राज्यासिद्ध का कार्रवाई मौके पर अतिरिक्त करकार है जारी मौके के कार्रवाई अतिरिक्त गयी है (गैर राज्यासिद्ध) अतिरिक्त अपील शरा अतिरिक्त गयी करने की दिवस में अपील द्वारा उद्देश्य की गयी अपील को खारिज किया जाता है। अतः उक्त न्यायालय न्यायालय न्यायालय तहसील को खारिज किया जाता है। २६/२०२० व उक्त न्यायालय न्यायालय न्यायालय न्यायालय न्यायालय को प्रयास रहे जाने के कार्रवाई पारित किए जाते हैं उक्त कार्रवाई प्रति तहसील को अतिरिक्त कार्रवाई पालन की अपील बाजने पत्रावली पालन शुभ होकर न्यायालय के तहसील को प्रयास न्यायालय/१०)

अति मिला कलक्टर
कोरपुतली (नवपुर)